**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 15087/2026
CNR: RJHC020756622026 | URN: CW / 32175U / 2026

1. Minakshi D/o Suresh Chandra Prajapati, Aged About 21 Years, Resident Of Ward No. 05, Shree Nath Colony, Fatak Bahar Chhavani, Beawar, District Ajmer (At Present District Beawar), (Raj.).
2. Arvind Joshi S/o Shri Kishore Kumar Joshi, Aged About 26 Years, Resident Of Mewari Gate, 0471, Gali No. 01, Pratap Colony, Beawar, District Ajmer (At Present District Beawar), (Raj.).

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp.
2. The State Of Rajasthan, Through Home Secretary, Govt. Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
3. Superintendent Of Police, District Beawar, (Raj.).
4. Station House Officer, Police Station Saket Nagar, District Beawar, (Raj.).
5. Suresh Chand Prajapati, Aged About 45 Years, Resident Of Ward No. 05, Shree Nath Colony, Fatak Bahar Chhavani, Beawar, District Ajmer (At Present District Beawar), (Raj.).
6. Kishor Kumar Joshi, Aged About 47 Years, Resident Of Mewari Gate, 0471, Gali No. 01, Pratap Colony, Beawar, District Ajmer (At Present District Beawar), (Raj.).

----Respondents

---

For Petitioner(s) : Mr. Aaryan Pareek
For Respondent(s) : Mr. Tapesh Agarwal

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**11/08/2026**

यह रिट याचिका याचीगण की ओर से अयाची संख्या 5 व 6 की ओर से उन्हें जान एवं स्वतंत्रता का खतरा पैदा करने की धमकियां मिलने के कारण अयाची संख्या–1 लगायत 4 को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए जाने हेतु प्रस्तुत की है।

याचिका पर सुना गया।

याचीगण का तर्क है कि याचिकाकार वयस्क हैं तथा याची संख्या–1 मीनाक्षी की जन्म तिथि 19.2.2005 एवं याची संख्या–2 अरविन्द की जन्म तिथि 12.3. 2000 है, जो कि उनकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिकाओं की प्रति से स्पष्टतः प्रकट हो रही है। इस प्रकार से वे दोनों वयस्क हैं और उन्होंने आर्य समाज समिति, नसीराबाद में दिनांक 8.6.2026 को विवाह कर लिया है, जिसका विवाह पंजीकरण प्रमाण–पत्र परिशिष्ट–2 है। उनका तर्क है कि याचीगण विवाह के बाद शांतिपूर्वक निवास कर रहे हैं तथा अयाची संख्या 5 व 6 जो याची संख्या–1 के पिता व निकट रिश्तेदार है एवं उनके इस विवाह से खुश नहीं हैं और धमकियां दे रहे हैं। उक्त अयाचीगण से याचीगण को जान एवं स्वतंत्रता का खतरा है। उनका यह भी कथन है कि उन्होंने न्यायालय में यह याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व नोडल अधिकारी महिला सुरक्षा, जिला–ब्यावर व पुलिस अधीक्षक ब्यावर को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पत्र परिशिष्ट–3 पंजीकृत डाक से भिजवा दिया है, , जिसकी पोस्टल रसीदें संलग्न की गई है। अतः याचीगण को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त याचिका का विरोध किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विवाहित जोड़ों की सुरक्षा के सम्बन्ध में न्यायिक विनिश्चय प्रकाश सिंह एवं अन्य–बनाम–यूनियन ऑफ इण्डिया में निर्देश दिए हैं तथा अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय लता सिंह–बनाम–उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2006 एससी 2522, एस. खुशबू–बनाम–कन्नाईम्मल 2010 (5) एससीसी 600, इन्द्रा सरमा– बनाम–वीकेवी सरमा

(2013) 15 एससीसी 755 तथा शफीन जहान–बनाम–असोकन केएम एवं अन्य (2018) 16 एससीसी 368 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छानुरूप रहने को स्वतंत्र है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है। वे कानून के अंतर्गत अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं, भले ही दो वयस्क व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध असामाजिक माने जावें। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे।

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थतियों में याचीगण के कथनों की सद्भाविकता व सत्यता के संबंध में कोई टिप्पणी व निष्कर्ष दिये बिना तथा उक्त विधिक स्थिति को देखते हुए अयाची संख्या–1 लगायत 4 को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे याचीगण की ओर से अयाची संख्या– 3 व 4 को प्रेषित पत्र परिशिष्ट–3 को विचार (consider) में लाएं व याचीगण की कथित असुरक्षा के संबंध में आकलन के पश्चात् असुरक्षा का तत्व पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर याचीगण के जीवन व स्वतंत्रता को किसी प्रकार की क्षति/हानि कारित नहीं होना सुनिश्चित करें।

तद्नुसार याचिका एवं विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई लम्बित हो, तो निस्तारित किये जाते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचीगण के विरूद्ध लम्बित या प्रस्तुत होने वाली किसी दीवानी/आपराधिक कार्यवाही को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा एवं ऐसी कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित की जाएगी।

(SHUBHA MEHTA),J

13/JITENDRA SINGH PANWAR